झारखण्ड विधान-सभा

अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948 में (संशोधन) अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 8/2005]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में (संशोधन) अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

विषय-सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-2(g) में संशोधन ।

3. बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-2 में संशोधन ।

4. बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-3 क का संशोधन ।

5. बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-3 ख का संशोधन ।

अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में (संशोधन) अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**-(1) यह विधेयक अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में (संशोधन) विधेयक 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-2(g) में संशोधन**-उक्त अधिनियम की धारा-2(g) में उप कंडिका (iv) के बाद निम्न व्याख्या जोड़ा जाता है -

(v) प्रवेश शुल्क / प्रवेश के लिए भुगतान में नगर विकास विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रखरखाव शुल्क सम्मिलित नहीं होगा ।

3. **बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-2 में संशोधन** - उक्त अधिनियम की धारा-2(q) के पश्चात् सकल संग्रहण क्षमता (Gross collection capacity) की परिभाषा, 2 (r) निम्नवत् जोड़ी जाती है-'सकल संग्रहण क्षमता का अर्थ है छविगृह की कुल आसन क्षमता के लिए संगणित कुल राशि, जिसके अन्तर्गत प्रवेश शुल्क, समय-समय पर धारा-3(1) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दर के आधार पर संगणित कर, किसी मनोरंजन में प्रवेश हेतु किसी अधिकार, सुविधा, सेवा या उक्त से संबंधित वस्तु के लिए लिया गया शुल्क अथवा अधिभार, नगर विकास विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रख-रखाव शुल्क को छोड़कर आते हैं' ।

4. **बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-3 क का संशोधन** - उक्त अधिनियम की धारा-3 क को विलोपित किया जाता है ।

उक्त अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमावली में जहाँ भी धारा-3 क का उल्लेख है, उसके प्रावधान तथा क्रियान्वयन को तदनुसार विलोपित समझा जायेगा ।

5. **बिहार अधिनियम 35, 1948 (अंगीकृत) की धारा-3 ख का संशोधन**-

उक्त धारा की उपधारा (1) में शब्द 'धारा-3 क' के स्थान पर शब्द 'धारा-3(1)' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

यह विधेयक अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948 में (संशोधन) विधेयक, 2005 दिनांक 2 जुलाई, 2005 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 2 जुलाई, 2005 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

मै इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

सैय्यद सिब्ते रजी,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

राँची :
दिनांक 30 सितम्बर, 2005

सच्ची प्रतिलिपि

सीताराम सहनी,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 72--81--10-12-2005--शनि मुण्डा ।